



लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश



क्रमांक 01/01/2017/भण्डार

दिनांक :- 03.07.2017

वाहन विक्रय हेतु निविदा (संक्षिप्त विज्ञप्ति)

01. आयोग के वाहन क्रमांक एम.पी.-02-1958 (मारुती वेन), एम.पी.-02-1959 (मारुती वेन), एम.पी.-02-1960 (मारुती वेन) मॉडल वर्ष-1994 तीनों मारुती वेन तथा एम.पी.-02-ए.ए. 0555 (एम्बेसेडर) मॉडल वर्ष-2003 का विक्रय किया जाना है।
02. आयोग कार्यालय के उक्त वाहनों के विक्रय हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.07.2017 को शाम 05:00 बजे तक बन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
03. निविदा प्रपत्र तथा निविदा की शर्तें आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com अथवा www.mppsc.nic.in पर देखी/पढ़ी जा सकती है एवं निविदा शुल्क के रूप में राशि रुपये 200/- (रुपये दो सौ मात्र) का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट, जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी। नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी।
04. इच्छुक निविदाकर्ता आयोग कार्यालय के उक्त वाहन क्रय करने हेतु निविदाएं डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर, के पते पर दिनांक 25.07.2017 को सायंकाल 05:00 बजे तक जमा कर सकेंगे।
05. प्राप्त निविदाएं दिनांक 27.07.2017 को दोपहर 12:00 बजे आयोग कार्यालय में खोली जावेगी।


(एन.के. चन्दवाड़ा)
अवर सचिव



आयोग कार्यालय के पुराने अनुपयोगी वाहनों के विक्रय की शर्तें

01. आयोग कार्यालय के वाहन क्रमांक एम.पी.-02-1958 (मारुती वेन), एम.पी.-02-1959 (मारुती वेन), एम.पी.-02-1960 (मारुती वेन) मॉडल वर्ष-1994 तीनों मारुती वेन तथा एम.पी.-02-ए.ए. 0555 (एम्बेसेडर) मॉडल वर्ष-2003 क्रय करने हेतु भाव पत्र बन्द लिफाफे में आयोग कार्यालय, रेसीडेन्सी एरिया, डेली कॉलेज रोड, इन्दौर पर दिनांक 25.07.2017 को सायंकाल 05:00 बजे तक सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पते पर डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें।
02. उक्त वाहनों की बिक्री "जैसी है, जहाँ है" के आधार पर की जावेगी।
03. इच्छुक क्रेता द्वारा वाहनों का अवलोकन म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर कार्यालय में कार्यालयीन कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक किया जा सकता है।
04. ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व वाहनों का निरीक्षण भली-भाँती कर लें। ऑफर प्रस्तुत करने के बाद वाहनों की स्थिति संबंधी कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
05. प्रत्येक आवेदनकर्ता को भाव पत्र के साथ रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) प्रतिभूति राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी नियादी जमा रसीद या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगी, जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर के नाम से देय हो तथा निविदा शुल्क के रूप में राशि रुपये 200/- (रुपये दो सौ मात्र) का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट, जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी। नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी।
06. भाव पत्र दिनांक 27.07.2017 को दोपहर 12:00 बजे आयोग द्वारा गठित विक्रय समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ता अथवा निविदाकर्ता द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे। ऑफसेट मूल्य से अधिक राशि उल्लेखित करने वाले निविदाकर्ता की निविदा को आयोग द्वारा मान्य किया जावेगा, उसे तत्काल ऑफर की 50 प्रतिशत राशि (राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट के रूप में) जमा करना होगी व शेष राशि एक सप्ताह की अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कर वाहन उठाना होगा अन्यथा प्रतिभूति राशि राजसात कर बिना सूचना के द्वितीय अधिकतम ऑफरकर्ता का चयन किया जा सकेगा।
07. ऑफर स्वीकृत करने या नहीं करने का अधिकार सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को होगा।

अविरत.....

08. किसी भी प्रकार के विवाद होने पर उसका निर्णय सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा किया जावेगा, जो सभी पर बंधनकारक होगा।
09. किसी भी भाव पत्र को निरस्त करने का अधिकार सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को होगा।
10. ऑफर स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन के हस्तांतरण हेतु समस्त व्यय क्रेता को करना होगा। सफल ऑफरकर्ता को वाहन उठाने के 15 दिवस में आर.टी.ओ. कार्यालय से शासकीय नम्बर परिवर्तन की कार्यवाही कर सूचित करना होगा, तत्पश्चात् ही धरोहर राशि वापस की जावेगी।
11. किसी भी गलत जानकारी के लिए निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर से वाहन की डिलेवरी लेने के पश्चात् आयोग परिसर के बाहर यदि कोई घटना घटित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी क्रेता की होगी और कानूनी निर्णय के अन्तर्गत समस्त स्वत्वों का भुगतान क्रेता को करना होगा।
13. किसी भी प्रकार के कानूनी विवादों हेतु न्यायक्षेत्र इन्दौर रहेगा।


(एन.के. चन्दवाड़ा)
अवर सचिव



वाहन क्रय हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडन्सी एरिया,
इन्दौर (MOPRO)

विषय :- अनुपयोगी वाहन क्रमांक एम.पी.02-1958 (मारुती वेन), एम.पी.02-1959 (मारुती वेन), एम.पी.02-1960 (मारुती वेन), एम.पी.02-एए-0555 (एम्बेसेडर कार), क्रय हेतु ऑफर (भाव-पत्रक) आवेदन-पत्र।

संदर्भ :- आयोग के द्वारा जारी की गई निविदा दिनांक 03.07.2017 के संदर्भ में।

---000---

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत वाहन क्रय हेतु मेरे द्वारा निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत है :-

संलग्न धरोहर राशि का विवरण	धरोहर राशि अंकों में :- धरोहर राशि शब्दों में :- (.....)
डिमांड ड्रॉफ्ट/एफ.डी. क्रमांक	
दिनांक	
बैंक का नाम	
शाखा का नाम	
आवेदक का नाम	
स्थायी पता	
दूरभाष/मोबाईल नम्बर	

अविरत.....2

2/ स्थायी पता के प्रमाणन हेतु मेरे द्वारा राशन कार्ड/वोटर आय.डी./आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्रायविंग लायसेंस की प्रति संलग्न प्रस्तुत हैं।

3/ मैं म0प्र0 लोक सेवा आयोग के उक्त वाहन क्रय के संबंध में अपना ऑफर अधिकतम भाव निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ:-

क्रमांक	वाहन क्रमांक	मॉडल एवं वर्ष	ऑफर प्राईज	
			अंकों में	शब्दों में
01	एम.पी.02-1958	मारुती वेन/1994		
02	एम.पी.02-1959	मारुती वेन/1994		
03	एम.पी.02-1960	मारुती वेन/1994		
04	एम.पी.02-एए-0555	एम्बेसेडर कार/2003		

4/ मेरे द्वारा वाहन विक्रय की शर्तों को तथा विशेष रूप से धरोहर राशि के संबंध में स्वविवेक से पढ़ा और समझा गया है तथा मैं इससे सहमत हूँ तथा एतद् संबंधी आयोग के अंतिम निर्णय के प्रतिबद्ध रहूंगा।

5/ मेरे द्वारा किसी भी शर्त की या किसी भी शर्त के अंश की अवहेलना करने पर आयोग को मेरे द्वारा जमा की गई धरोहर राशि राजसात करने की मैं सहमति प्रदान करता हूँ।

6/ मैं उक्त वाहन केवल विधि संगत उपयोग (वाहन का पुनः उपयोग करने या भंगार में विक्रय कर-सकने) के उद्देश्य से क्रय करना चाहता हूँ।

7/ वाहन सुपुर्दगी होने के पश्चात् मेरे द्वारा 15 दिवस के भीतर आर.टी.ओ. कार्यालय से शासकीय पंजीयन (नम्बर) क्रमांक परिवर्तन की कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया जावेगा।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम -

पता -

मोबाईल नम्बर